बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, ई मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-03/2019 खण्ड 1884 /पटना, दिनांक 20/11/2019

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)-सह-जिला पदाधिकारी,
सभी नोडल पदाधिकारी (स०स०)-सह-उप विकास आयुक्त,
सभी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)-सह-अनुमंडल विकास पदाधिकारी,
सभी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)-सह-जिला सहकारिता पदाधिकारी,
सभी निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी।

विषय: **प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के प्रबंधकारिणी समिति के कोरम के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2019 के लिए अधिसूचना निर्गत एवं संसूचित है। पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति में अध्यक्ष सहित कुल 12 पदों के लिए निर्वाचन होना है। बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली 1959 के नियम 22 (2) में प्रावधान है कि प्रबंध समिति के गठन के तुरंत बाद प्रबंध के समिति के सदस्य एवं पदधारी प्रभार ले लिये गये समझे जायेंगे :

"परन्तु यह कि प्रबंध समिति का गठन तब तक पूर्ण नहीं समझा जाएगा, जब तक कि पदेन सदस्यों, यदि कोई हो, सहित निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्रबंध समिति के सदस्यों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत या अधिक नहीं हो जाए।"

उक्त आलोक में प्राथमिक कृषि साख समिति में प्रबंध समिति के गठन हेतु यह आवश्यक है कि कम से कम छह सदस्य निर्वाचित हों। यदि नामांकन के पश्चात् अथवा संवीक्षा/ अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात् कम से कम छह पदों पर निर्वाचन संभव न हो, तो वहाँ पर कोरम पूरा नहीं हो पाएगा और इस स्थिति में प्रबंध समिति का गठन नहीं हो सकेगा। कम-से-कम छः सदस्यों के सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित होने के उपरान्त ही निर्वाचन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा अन्यथा नहीं।

अतः अनुरोध है कि नामांकन के पश्चात् अथवा संवीक्षा/ अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात् यदि छह पदों पर निर्वाचन नहीं होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस स्थिति में निर्वाचन नहीं कराया जाएगा तथा इसकी सूचना तुरंत प्राधिकार को दी जाएगी।

विश्वासभाजन,

20.11.19

(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।

BSEA dt.18.11.2019 Vasant